

किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के मनोनयन हेतु

अपेक्षित अर्हताएं/योग्यता /सामान्य दिशा निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत एवं आदर्श नियम, 2016 के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जांच, सुनवाई एवं निपटान हेतु एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो 1 महानगर मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट व 2 सदस्य (जिनमें से एक महिला होनी चाहिए) से मिलकर बनी एक न्यायपीठ होगी। प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त महानगर मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होगी।

किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार हैं:-

1. किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जब ऐसा व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक तात्परित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से अर्न्तवर्लित हो या बालक मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत व्यवसायी हो।
2. सामाजिक कार्यकर्ता अधिकतम दो कार्यकालों के लिए ही बोर्ड के सदस्य के लिए पात्र होंगे, जो कि लगातार नहीं होंगे।
3. अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो।
4. कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि -
 - i. उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है;
 - ii. उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वर्लित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।
 - iii. उसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है।
 - iv. वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रमिक के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अन्य आवश्यक अर्हताएं निम्नानुसार हैं:-

- i. बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आवेदन के समय आयु 35 वर्ष से कम न होगी।
- ii. ऐसा कोई अन्य व्यवसाय न कर रहा हो, जिसके कारण वह इस बोर्ड के कार्य के निष्पादन पर आवश्यक समय व ध्यान न दे सकता हो।
- iii. बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत/अनुभव रखने वाले व्यक्ति के पास किसी क्षेत्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए


[Handwritten Signature]
23/9/2017

इस क्रम में राज्य के सवाई माधोपुर जिले में किशोर न्याय बोर्ड के (2-सदस्यों), जिसमें से एक महिला सदस्य आवश्यक है, तथा बाडमेर जिले में किशोर न्याय बोर्ड के (1-सदस्य के रिक्त पद) हेतु सामाजिक कार्यकर्ता का चयन किया जाना है।

किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों का चयन 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बैठकों में भाग लेने के पेटे मनोनीत सदस्यों को निर्धारित बैठक भत्ता दिया जाएगा।

अतः किशोर न्याय बोर्ड, सदस्य के पद के विरुद्ध मनोनयन हेतु ऊपर वर्णित अर्हताएं रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दिनांक 19.06.2017 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन पत्र उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/जिला बाल संरक्षण इकाई के संबंधित जिला कार्यालय एवं विभागीय वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in, www.dcrraj.in से प्राप्त किए जा सकते हैं एवं आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्धारित दिनांक तक संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।


(जे.सी.देसाई)

निदेशक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति